



UPLK010059802018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष वाद सं0 124 / 2018

सरकार

बनाम

राम सुचित

अ0सं0 428 / 2017

धारा-323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द,ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-मलिहाबाद, लखनऊ ।

10-04-2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त राम सुचित मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)द, ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 31.05.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ ।



UPLK010059802018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
विशेष वाद सं0 124 / 2018

सरकार

बनाम

राम सुचित

अ0सं0 428 / 2017

धारा-323,504,506 भा0द0सं0 तथा

धारा 3(1)द,ध एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,

थाना-मलिहाबाद, लखनऊ ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार-III विशेष न्यायाधीश (एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्वारा आप अभियुक्त राम सुचित को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 17-09-2017 को समय 12:30 बजे दोपहर थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम अल्लूपुर में आप ने वादी मुकदमा अमर सिंह को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा अमर सिंह को भद्दी-भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा अमर सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा अमर सिंह को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा-3(1)द के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम: यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा अमर सिंह जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा-3(1)ध के अधीन

दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 10-04-2023

(नरेन्द्र कुमार-III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक: 10-04-2023

(नरेन्द्र कुमार-III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950